		i control de la	. 2.3
If a puriment al Promotion Committee, exists, composition.	what is its	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	
13		14	
Not applicable		Not applicable.	
		[File No. 4/1 92 -NICFS/Per R. SANKARANARAYANAN, Under S	

(तंसवीय राजमाचा समिति)

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1992

सां, कां, निः, 568⊶-राष्ट्रपति, तीवधान के धनुष्कोद 309 के परमुके द्वारा प्रदत्त सपितयों का प्रयोग करते हुए संशर्वथ शत्रभाषा समितिः, नृद्द मंद्रालय में समृद्द "व" बीर सनृद्द "व" पर्दो पर धर्ती की पद्धति का विनियमन करने के मिए निस्नतिबित नियम बनाते हैं, प्रवीत :

ा संक्रिप्त नाम बीर बारम्थः (1) इत नियमों का संक्रिप्त नाम गृह मंत्रालय, समबोय राजशाचा समिति (समूह "व" बीर समूह "व" पव) असीं नियम,

- (2) वे राजपत में प्रकाशन की तारीय की प्रवृत्त होंगे।
- 2- पद-संक्या, वर्गीकरण भीर बेतनमान : उद्देश पदों को संब्या, उपका दर्गीकरण भीर उनके बेतनमान वे होंने, जो दन नियनों से उपायड धनुसूची के स्तम्य 2 से स्तंन 4 में विनिद्दिय्द हैं।
- 3. भर्ती कं प्रदित, मानु-मोना भौर सन्य स्ट्रैनाएं मादि: उस्त नदों गर भर्ती की प्रदित, मानु-प्रीमा भीर मन्य स्ट्रेनाएं भीर उनसे संबंधित मन्य वार्ते वे दोंनी जो उक्त मनुमूची के स्तर-त 5 हे स्तंत्र 14 में विनिदिष्ट हैं।
 - 4. निर्द्ताः वह व्यक्ति---
 - (क) विसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पिर या जिसकी गरेनी बीबित है, विवाह किया है, या
- (ख) जिल्लने घाने पति या प्रपत्नी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उन्हें पद पर निवृत्ति का गान्न मही होगा :

परन्तु श्रीद केन्द्रोय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति भीर विवाह के भ्रत्य पक्षकार की लागू स्वीय विधि के स्वधीन भनुत्रोप है, भीर ऐसा करने के लिए भन्य साधार है तो वह कितो क्यकित को इस नियम के प्रवर्तन से छूट देसकेगी।

- 5. ब्रियिस करने की जरित: यहां केन्द्रीय सरकार की यह श्रेप है कि ऐसा करना धाययक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारच है उन्हें लेखबढ़ करके इन नियमों के कती उनवंद की किसी वर्ष या प्रवर्ग के व्यविधयों की बाबन, ब्रावेश हारा ब्रियिस करा सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति : इत नियमों को कोई बात, ऐसे बारक्षणों, बायू-तीमा में छट फीर प्रत्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेबी, जिनका केन्द्रीय सरकार हाश इस सर्वेष्ठ में सबय-समय पर निकान गर् बादेखों के बनुवार अनुनृश्वेत जानियों, बनुसूर्वित जनवातियों, बूतपूर्व मैनिकों बीर बन्य विशेष प्रवर्ध के व्यक्तियों के लिए उत्वंत्र करना बापेक्षित हैं।

			ध नुषूर्य	t		
पद का नाम	पदों का संकरा	वर्गी क र र	र्वे ननमान	पेरन गर ध्रमना ध्रमसन पर	सेवा में जोड़े गए वर्षों का कायवा केन्द्रीय सिविस नेवा (पेंशन) नियम, 197 के नियम 30 के सकी धनुसेव है या नहीं	ा वाले व्यक्तियों हे 2 लिए काव तीवा
1	22	3	4	5	0	,
1. भरे छ धनुसादम् (हिन्दी)	2 (1992) कार्यभार के पाखार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	बाधारण केन्द्रीय तेवा, । वन्द्र "व" (बरा त्यद्धित) व धननृत्वविवीय	040-€0-2300- .चे75-2000₹	मानुनशी होता	नहीं	नापू वशी होता
सीधे धर्नी किए वाने व बीक्षक भीर भरत भड़ेतार		नर मोर्च भर्ती किए जाने के सिए निदिन खाबू सर्वताए प्रोजन व्यक्ति मानूबोनी या नदी	धीर संक्षिक	नीवानी घर्षाध श्री	था प्रोत्तात स्वानानरण	ण भरी जाने बाली
		9		10		11
मान् न _व 2958 GI/92—2	तें शेवा	नानू नहीं	्रोता	मान् मही ह	ोता प्रदिनियुक्ति	पर स्थानांतरण हारा

[PART II-SEC. ?(i)] 1984 THE GAZETTE OF INDIA: DECEMBER 19, 1992 /AGRAHAYANA 28, 1914 पती सरते में कि िंगिरिसिंगिरिती हैं होंग सीक बोब्रीत/ब्रतिलयुचित्र स्थानीतश्च द्वारा भती की बक्ता में ने से निया थाव निभागीय को नित्र समिति है तो उसकी रेखा झायोग से परामर्श किया काएगा जिनते प्रीव्यति/प्रतिनियुक्ति/स्थानीतरण किया जाएगा 13 प्रनितियक्ति पर स्थानांतरणः केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी : लागू मही होता लागू तही होता (i) जो नियमित आधार पर संवृत्त पद खारण किए हुए हैं, (ii) जिन्होंने 1400-2600 ह. के बेतनमान में कनिष्ठ धनुवादक (हिन्दी) के पद पर 5 वर्ष नियमित सेवा की 8 1 (प्रतिनियुक्ति की प्रविध जिसके प्रन्तगंत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी धन्य संगठन विभाग में उस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी धन्य काडर-बा**ट्य पद पर प्र**हि-नियुक्ति की शवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नही होगी। 1 2 3 7 2. सष्ट्रायक *5 (1992) साधारण केन्द्रीय 1400-40-1600- सागू नहीं होना नहीं नायु नहीं होता नागू मही होता कार्यमार के बाबार सेवा, समृह "ग", 50-2300-व. रो.-पर परिवर्तन किया (ब्रराजपन्नित) 60-2600 ₹. **प्रनस**िंबीय जा सकता है। 10 11 12 13 14 प्रतिनियुक्ति पर स्थानातरणः केन्द्रीय सरकार मागू नहीं होता प्रतिनियुक्ति पर स्वानातरण जागू नहीं होता नागू नहीं होता होरा । के ऐसे पश्चिकारी:--(i) जो नियमित प्राधार पर सदुण पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने केन्द्रीय सचिवासय लिपिकीय सेवा के उच्च भेणी लिपिक की भेणी में ठ वर्ष नियमित सेवा की है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके घन्त-गंत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी धन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले घारित किसी प्रम्य काडर-बाह्य पद पर प्रोतिनयुक्ति की ध्यक्षि है। साधारणतया 3 वर्ष से झिंछक नही होगी। 7 2 3 6 R 10 3. जागुलिपिक * 2 (1992) साधारण केन्द्रतः 1400-40-1600-50 सा । नहीं लागू नहीं ला । नहीं जानू नहीं मागुनहीं नागू नहीं सेवा समूह "ग" *कार्यभार के 2300- रो.-होना होता होता ष्ट्रीता हांता होता बाधार पर परि-(धराजपवित) 60-2600,7.

धनुसनिबीय

वर्तन किया जा सकता है।

ऐसे प्रधिकारी:

(i) जो नियमित भाधार पर सद्य पद धारण किए हुए हैं, या

(ii) जिन्होंने निम्न श्रेणी लिपिक की श्रेणी में दो वर्ष निर्यागत सेवा की है और जो अंग्रेजी या हिन्दी धानुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति रखते हैं। (प्रतिनिय्क्ति की धवधि, जिसके धन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी घन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से टीक वहले धारित किसी धन्य काहर-बाह्य पक्ष पर प्रशिनियुक्ति की भविष्य है साधारणतथा 3 वर्ष से घिषक नहीं श्रोगी।)

950-30-1150-द. सामू नहीं होता सामू महीं होता पार्य गहीं होता 10(199३) राधारण वेन्द्रीय सेथाः ६ निम्न श्रेणी सगृह "ग" (प्राचन री. 25-1500 ह.

> पतित) धन् निविध रकारौधार के भाषार पर परिज्तेंग किया भा सकता है।

लिपिक

		9			10	
तागूनहीं होता	लागृतहीं होगा			सानू नहीं होता		
11		12		13	14	
तिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रतिनियुष्टित पर र ऐसे प्रधिकार्गः -	मानान्तरणः केश्वीम गर -	कार के	लाणू नहीं होता	लागू महीं होता	
	जो नियमित प्राधार पर शदृष्ण पद धारण किए हुए हैं। हिन्दों टंकण में 25 सन्द प्रति मिनट और अंग्रेजी: टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की यति याणों को प्रधिमानता दो आएगी।					
	(प्रसितियृक्षिण की सरकार के प्रा में इस नियुवि सन्य काडरव	मबधि, जिसके धन्तर्गत गिया किमं: बन्य संगठन/ गिसे टीक पहले द्यारित हर्य पद पर प्रतिनियुक्ति गरणनया :स्वर्थ से अधिन	केम्ब्रीय विभाग किसी त की			
1 ' ===================================			5 अचयन	6 	7 -!!!-!!!!!!!!!!!!!! 18 में 25 नर्ज (क्रिकंग स्टब्स्ट स्टब्स	
*कार्यचार के	साधारण केन्द्राय सेत्रः, समृह "ग" (गरात्र- पतित्र) प्रनुसण्डियोय	950-20-1150 द. रो. 25-1500 इ				
किया वा सकता ई ।					निधित करके 40 नई तफ को जा सकती है)। टिप्पन 1:मायुसीमा घवळारित	
					कण्ते के लिए निर्मायक तारीय भारत में भ्रष्टगर्थियों से धार्यका प्राप्त कण्ते के लिए नियत व गर्द संतिम तारीचा होगी न शि	
					बह बंतिम तारोच को धना मेघालय, धरणाचल प्रदेश, मिजीवर मीत्रपुर, नातालैंड, त्रिपुर सिक्किम, जस्मू-कस्मोर राज्य सहाज खंड, हिमाचल प्रदेश	
					बह बंतिम तारोचा को धसः मेघालय, धर्यणाचल प्रदेश, भिजोरः मीगपुर, नागालैंड, ब्रिपुर सिक्किम, जश्मू-कश्मीर राज्य	

नाम क्रेजन के जिए कहा भया है।

	4		9	10		
भायश्यकः :		भाषुः नहीं	***********	दो वर्ष		
	न किता संग्धा से बाठवीं स्थर	गैक्षिक प्रश्ताए : हा				
या सममुहर परीक्षा उत्तर्ग						
	नि (विधिना ^ह । भासन सनुशा प्त					
हो। उ.मोटर यंद्र किया का	are se i se se					
यान में छोटे बोप बूर व		•				
	ान के पाल हा। किस से कम तीन वर्षका धनुश्रद					
हो ।	THE RESERVE OF THE PERSON OF T					
	गुरका सिविल सेवक के उप					
में 3 वर्ष सेना का हो।	3					
टिप्पण 1 अहेताएं प्राथमा	मुचर्हित घट्यपियो की दशा में					
	नुसार शिषिल को जा सकति। ई।					
टिप्पण २ग्रनुभव रविधः	भहेता/भहेताएं सक्षम प्राधिक,री					
के विवेकानुसार प्रनश्चिर	विश्वी और धनसूचित जन					
	ादना में तत्र मिथिल की जा					
	के कियों प्रक्रम पर मक्षम प्राधिः इ.स.च्या १८८८ व्यक्तिक विकास					
	ि उनके लिए भारक्षित रिक्टियों भनुभव रखा वाले उत्त सनुदायों					
के भश्यवियों के पर्वास्त स	च्या में उपलब्ध होने की संभावना	,				
नहों है।	and the second second	'				
		·				
	11			12		
प्रोण्यति द्वारा जिल्लो न हो स जीर दोतों के न हो लयने प	क्षितं भर्तीद्वीयः सिर्धाः भर्तीद्वीयः _	is a milit	प्रोग्पति : संसर्व में से जिण्हों और जिनके	ने कम से कम	पोष वर्ष नियमित से	ा की है और
प्रान्तान द्वारा जिलका न हो स जीर दोनों के न क्षी संपने प	क्त पर आजानसूचित पर स्थानार टसोझी भर्ती द्वीरा		में से जिन्हों और जिनके टिप्पण: यदि वर्षों को से प्रयेष्ठ ं, ये क परिकंश: व प्रतित्तिः गृक्तिः पर के ऐसे धारण किए हैं। प्रतितिन् पृक्तिः । धारित किसं: व	ने कम से कम पाक्त रतंत्र अ पेने अपिक का ल वा पूरों कर ल पोचारों के गंबंध प्रवित्र पूरों कर स्वानःशारण - कर्मचारां जो हुए हैं और जि कर्म स्वानः र्राम्य का	पोष वर्ष नियमित है। में विद्या प्रहुतिपूर्ण है चित्रों के मंत्रेश में हिंदे यिचार किया जा ने और विचार किया	ा की है और । जिसने अपेकित ा है तो उनसे जाएगा जिलाने पर मन्त्र पद किहिन सहैन,एं फार के उसे ते ठीक पहले
प्रान्तान द्वारा जिलका न हो स जीर दोनों के न श्ली नयने प	क्या पर स्थानार सोझं: मर्ती द्वारा _		में से जिन्हों और जिनके टिप्पण: यदि वर्षों को से प्रयेष्ठ ं, ये क परिकंश: व प्रतित्तिः गृक्तिः पर के ऐसे धारण किए हैं। प्रतितिन् पृक्तिः । धारित किसं: व	ने कम से कम पाक्त रतंत्र अ पेने अपिक का ल वा पूरों कर ल पोचारों के गंबंध प्रवित्र पूरों कर स्वानःशारण - कर्मचारां जो हुए हैं और जि कर्म स्वानः र्राम्य का	पोष वर्ष नियमित सेव में बिहिंद प्रहुंताएं है गिरों के मंत्रेश में हि यिवार किया जा ने और बिवार किया ना है। केव्ह्रेंग सरकार के क नियमित भाषार तके पास स्तंभ 3 में के सन्तर्भ दस नियुक्ति हिय पर पर प्रतिनिध्	ा की है और । जिसने अपेकित ा है तो उनसे जाएगा जिलाने पर मन्त्र पद किहिन सहैन,एं फार के उसे ते ठीक पहले
बीर दोनों के न हो नयने प	ान पर प्रातानपुष्ति पर स्थानार र सोझं: भर्ती द्वारा य प्रोहनीय सुर्फिं जो निक्निस्		में से जिन्हों और जिनके टिप्पण: यदि वर्षों को से प्रयेष्ठ ं, ये क परिकंश: व प्रतित्तिः गृक्तिः पर के ऐसे धारण किए हैं। प्रतितिन् पृक्तिः । धारित किसं: व	ने कम से कम पान रतंत्र 3 ऐसे १००० क वा पूरो कर क वा पूरो कर क ग्रैंबारों के गंबंध सबित्र पूरो कर क्यानांकारण - कर्नेचारां जो हुए हैं आंच जि क्रिं प्रथित, जिस पर्ना संस्ता / वि वेष्य काइर व	पोच वर्ष नियमित सेव में बिहिंद प्रह्नेताएं है चित्रां के मंत्रेश में हि पिचार किया जा ने और बिचार किया ना है । वेण्डांग सरकार के क नियमित्र भाषार तक पत्म स्तंभ 3 में के सर्वार्थ देखाँग स् के सर्वार्थ देखाँग स् हिष् पद पर प्रतिनिध्य प्रधिक नहीं होती ।)	ा की है और । जिसने क्ष्मेकित ा है तो उनसे जाएगा जिनने पर मन्त्र पद किहिन कहुँन,एं रकार के उसी ते ठीक पहले
बीर दोनों के न ही नयने पर प्रोक्ति(पुष्टि के सिए विभाग से मिलकर बनेनो	सोधी भर्ती द्वारा - य प्रोप्ति स्टिशि जो निस्तिका		में से जिन्हों और जिनके टिप्पण: यदि वर्षों को से प्रयेष्ठ ं, ये क परिकंश: व प्रतित्तिः गृक्तिः पर के ऐसे धारण किए हैं। प्रतितिन् पृक्तिः । धारित किसं: व	ने कम से कम पान रतंत्र 3 ऐसे १००० क वा पूरो कर क वा पूरो कर क ग्रैंबारों के गंबंध सबित्र पूरो कर क्यानांकारण - कर्नेचारां जो हुए हैं आंच जि क्रिं प्रथित, जिस पर्ना संस्ता / वि वेष्य काइर व	पोष वर्ष नियमित सेव में बिहिंद प्रहुंताएं है गिरों के मंत्रेश में हि यिवार किया जा ने और बिवार किया ना है। केव्ह्रेंग सरकार के क नियमित भाषार तके पास स्तंभ 3 में के सन्तर्भ दस नियुक्ति हिय पर पर प्रतिनिध्	ा की है और । जिसने क्ष्मेकित ा है तो उनसे जाएगा जिनने पर मन्त्र पद किहिन कहुन,एं रकार के उसी ते ठीक पहने
वीर दोनों के न ही नयने पर गाँग्ति/पुष्टि के लिए विभाग से मिलकर बनेगो '	सोधी भर्ती द्वारा - य प्रोप्ति स्टिशि जो निस्तिका		में से जिन्हों और जिनके टिप्पण: यदि वर्षों को से प्रयेष्ठ ं, ये क परिकंश: व प्रतित्तिः गृक्तिः पर के ऐसे धारण किए हैं। प्रतितिन् पृक्तिः । धारित किसं: व	ने कम से कम पान रतंत्र 3 ऐसे १००० क वा पूरो कर क वा पूरो कर क ग्रैंबारों के गंबंध सबित्र पूरो कर क्यानांकारण - कर्नेचारां जो हुए हैं आंच जि क्रिं प्रथित, जिस पर्ना संस्ता / वि वेष्य काइर व	पोच वर्ष नियमित सेव में बिहिंद प्रह्नेताएं है चित्रां के मंत्रेश में हि पिचार किया जा ने और बिचार किया ना है । वेण्डांग सरकार के क नियमित्र भाषार तक पत्म स्तंभ 3 में के सर्वार्थ देखाँग स् के सर्वार्थ देखाँग स् हिष् पद पर प्रतिनिध्य प्रधिक नहीं होती ।)	ा की है और । जिसने क्ष्मेकित ा है तो उनसे जाएगा जिनने पर मन्त्र पद किहिन कहुँन,एं रकार के उसी ते ठीक पहले
वीर दोनों के न ही नयने पर गाँग्ति/पुष्टि के लिए विभाने से मिलकर बनेगो ' 1. मंचिब, संमदाय राजनाचा 2. प्रवर गचिक (प्रसा.)	सोक्षं भर्ती द्वारः वि प्रोक्ति सम्बद्धिः जो निस्तिक्षः समिति	खाः. - अध्यक्ष - गृदस्य	में से जिन्हों और जिनके टिप्पण: यदि वर्षों को से प्रयेष्ठ ं, ये क परिकंश: व प्रतित्तिः गृक्तिः पर के ऐसे धारण किए हैं। प्रतितिन् पृक्तिः । धारित किसं: व	ने कम से कम पान रतंत्र 3 ऐसे १००० क वा पूरो कर क वा पूरो कर क ग्रैंबारों के गंबंध सबित्र पूरो कर क्यानांकारण - कर्नेचारां जो हुए हैं आंच जि क्रिं प्रथित, जिस पर्ना संस्ता / वि वेष्य काइर व	पोच वर्ष नियमित सेव में बिहिंद प्रह्नेताएं है चित्रां के मंत्रेश में हि पिचार किया जा ने और बिचार किया ना है । वेण्डांग सरकार के क नियमित्र भाषार तक पत्म स्तंभ 3 में के सर्वार्थ देखाँग स् के सर्वार्थ देखाँग स् हिष् पद पर प्रतिनिध्य प्रधिक नहीं होती ।)	ा की है और । जिसने क्ष्मेकित ा है तो उनसे जाएगा जिनने पर मन्त्र पद किहिन कहुँन,एं रकार के उसी ते ठीक पहले
वीर दोनों के न ही नयने पर गोण्नित/पुष्टि के लिए विभाने से मिलकर बनेती 1. मचिब, संमदीय राजनाचा 2. प्रवर गचित्र (प्रसा.) 3. धवर सचिव (धनुसंद्यान)	सोक्षं भर्ती द्वारः	खाः - अध्यक्ष - गर्दस्य - मदस्य	में से जिन्हों जीर जिनके टिप्पण: यदि वर्षों को से प्रयेष्ठ ं, से क परिकंश: व प्रतित्ति गृक्ति पर के ऐसे धारण किए हैं। (प्रतित्ति पृक्ति । धारित किसं: व	ने कम से कम पान रतंत्र 3 ऐसे १००० क वा पूरो कर क वा पूरो कर क ग्रैंबारों के गंबंध सबित्र पूरो कर क्यानांकारण - कर्नेचारां जो हुए हैं आंच जि क्रिं प्रथित, जिस पर्ना संस्ता / वि वेष्य काइर व	पोच वर्ष नियमित सेव में बिहिंद प्रह्नेताएं है चित्रां के मंत्रेश में हि पिचार किया जा ने और बिचार किया ना है । वेण्डांग सरकार के क नियमित्र भाषार तक पत्म स्तंभ 3 में के सर्वार्थ देखाँग स् के सर्वार्थ देखाँग स् हिष् पद पर प्रतिनिध्य प्रधिक नहीं होती ।)	ा की है और । जिसने क्ष्मेकित ा है तो उनसे जाएगा जिनने पर मन्त्र पद किहिन कहुँन,एं रकार के उसी ते ठीक पहले
वीर दोनों के न ही नयने पर गोण्नित/पुष्टि के लिए विभाने से मिलकर बनेतो ' 1. मचिब, संमदीय राजनाचा 2. प्रवर गचिक (प्रसा.)	सोक्षं भर्ती द्वारः	खाः. - अध्यक्ष - गृदस्य	में से जिन्हों जीर जिनके टिप्पण: यदि वर्षों को से प्रयेष्ठ ं, से क परिकंश: व प्रतित्ति गृक्ति पर के ऐसे धारण किए हैं। (प्रतित्ति पृक्ति । धारित किसं: व	ने कम से कम पान रतंत्र 3 ऐसे १००० क वा पूरो कर क वा पूरो कर क ग्रैंबारों के गंबंध सबित्र पूरो कर क्यानांकारण - कर्नेचारां जो हुए हैं आंच जि क्रिं प्रथित, जिस पर्ना संस्ता / वि हों प्रथित कर्म	पोच वर्ष नियमित सेव में बिहिंद प्रह्नेताएं है चित्रां के मंत्रेश में हि पिचार किया जा ने और बिचार किया ना है । वेण्डांग सरकार के क नियमित्र भाषार तक पत्म स्तंभ 3 में के सर्वार्थ देखाँग स् के सर्वार्थ देखाँग स् हिष् पद पर प्रतिनिध्य प्रधिक नहीं होती ।)	ा की है और । जिसने क्ष्मेकित ा है तो उनसे जाएगा जिनने पर मन्त्र पद किहिन कहुँन,एं रकार के उसी ते ठीक पहले
वीर दोनों के न ही नयने पर प्रोग्नित/पुष्टि के लिए विभाने से मिलकर बनेगो 1. मचिब, संगदीय राजनाचा 2. प्रवर गचित्र (प्रवा.) 3. धवर सचिव (प्राजनाचा 1	सोधी भर्ती द्वारः	खाः - अध्यक्ष - गर्दस्य - मदस्य	में से जिन्हों जीर जिनके टिप्पण: यदि वर्षों को से प्रयेष्ठ ं, से क परिकंश: व प्रतित्ति गृक्ति पर के ऐसे धारण किए हैं। (प्रतित्ति पृक्ति । धारित किसं: व	ने कम से कम पान रतंत्र 3 ऐसे १००० क वा पूरो कर क वा पूरो कर क ग्रैंबारों के गंबंध सबित्र पूरो कर क्यानांकारण - कर्नेचारां जो हुए हैं आंच जि क्रिं प्रथित, जिस पर्ना संस्ता / वि हों प्रथित कर्म	पोष वर्ष नियमित सेव में बिहिंद प्रह्नेताएं है चित्रां के मंत्रेश में हि पिकार किया जा ने और बिकार किया ना है । केक्द्रेग सरकार के क नियमित्र भाषार नके पत्स स्तंभ 3 में के स्तार्थ के देखीय क किया में इस नियुक्त हिष् पर्य पर प्रतिनिध्य प्रधिक नहीं होती ।)	ा की है और । जिसने क्ष्मेकित ा है तो उनसे जाएगा जिनने पर मन्त्र पद किहिन कहुन,एं एकार के उसी ते ठीक पहने
वीर दोनों के न ही नयने पर गोण्नति/पुष्टि के लिए विभान से मिलकर बनेगो 1. मचिब, संमदाय राजनाचा 2. प्रवर गचिक (प्रजा.) 3. धवर सचिव (प्रजानाचा 1 7. कनिष्ठ गैस्टेटनर 1 (1	सोधं भर्ती द्वार। य प्रोन्निम सन्ति। जो निस्नीर्का निमिति विभाग) 2 3 992) साधारण कनी।सेना	खाः - भाव्यका - गरदस्य - मरदस्य - सदस्य - 4 - 800-15-1010-इ.	में से जिन्हों जीर जिनके टिप्पण: यदि वर्षों को से प्रयेष्ठ ं, से क पारिकंश: व प्रतिति: गृक्ति पर के ऐसे धारण किए हैं। (प्रतित्तियुक्ति: धारित किसी: व धारित किसी:	ने कम से कम पान रतंत्र 3 ऐसे १००० क वा पूरो कर क को नारा जा हुए हैं जोर जि का प्रथमि, जिस पर संस्ता / वि वा प्रथमि क। इस व	पोच वर्ष नियमित सेव में बिहिए पहुँताएँ हैं गिरारों के संबंध में हि यिवार किया जा ने और बिवार किया ना है। वेण्डांग सरकार के क नियमित भाषार ने प्रमास संभ 3 में के अनातन रेल्डांग स्वाप्त में इसाम में इस नियुक्त हियम नहीं होती।)	ा की है और । जिसने स्पेक्षित ता है तो उनसे जाएगा जिनने पर महंशा पद सिहिन सहैन,एं कार के उसी ते ठोक पहने । किन की सर्वा
वीर दोनों के न ही नयने पर प्रोक्ति/पुष्टि के लिए विभान से मिलकर बनेगी 1. मिलक, संसदाय राजनाला 2. प्रवर गणिक (प्रसा.) 3. ध्वर सचिव (प्राजनाणा 1	सोधां भर्ती द्वारः	खेर- -थाध्यका -गरदेश -गरदेश -गरदेश -गरदेश -गरदेश -गरदेश -गरदेश -गरदेश -गरदेश	में से जिन्हों जीर जिनके टिप्पण: यदि वर्षों को से उपेण्ठ ं, ये व गरिकांशा: व प्रतित्ति पृक्ति पर के ऐसे धारण किए हैं। प्रतितियुक्ति: या किसी: व धारित किसे:	ने कम से कम पान रतंत्र 3 ऐसे अधिक कर क वा पूरो कर क वा पूरो कर क वा पूरो कर क्यानान्य कर क्यानान्य जा हुए हैं जार जि वाया 3 वर्ष से वाया 3 वर्ष से	पोच वर्ष नियमित सेव में बिहिए प्रहुंताएं है निर्मा के मंत्रेश में हि पिचार किया जा ने और बिचार किया ना है । वेण्डांस सरकार के क नियमित शाधार नके पत्म स्तंभ 3 में के बनायें रेज्यांस के मात्स पर्य पर प्रतिनिध्य के स्थिक नहीं होती ।)	ा की है और । जिसने अपेकित गा है गो उनसे जाएगा जिल्ले पर मद्रश पर किहिन अहुँन,एं कार के उसी ते ठीक पहले । किल की अपेकि

	8	9		10	
लागू नहीं होता		नही		मही	
1	11			1 2	
बोम्पति डाय जिसके न हो सक	ने पर प्रतिनिधुषित पर स्था	तत्त्ररण द्वारा	धोर्मित : ऐसा दाः की हो और का ज्ञान हो ।	ारो जिस्तो उस श्रेणो जिले पैस्टेटनर मगी।	में दी वर्ग नियनित सेव के प्रवास और धनुरक्ष
			टिप्पणी : यबि ऐरे यर्चो की सेवा ण्योप्ठ ऐसे क	पूरी कर मी है विव	के संबंध में बिजो बातेता पर किस जाादि तो उस्ते विवार किस बाएगा जिसके
			प्रतिनिदुक्ति पर ह के ऐसे कर्मचा	त्यानास्तरज : केन्द्रीय री जो नियमित झार्ट रिजिन्हें गैस्टेटनर मर्ग	सरकार के कार्यातयों/विद्याने गर पर सदृत पद धारण गि के प्रवादन और प्रतृरक्षण
			(प्रतिनियुक्ति की याकिसी मन्यः किसी प्रन्य	मबधि, जिसके भर् _{री} संगठन/विभाग में इस	ति केन्द्रीय सरकार के उसे नेयुक्ति सेठीक पहले धारित पर प्रतिनियुक्ति की श्रवधि होगी।
13				14	
स्मृह् "च" विज्ञागीय प्रोन्नति सन्धिः हे जिलकर बनेगी ।	नित (प्रोन्निति के सिए) जो	निम्नलिखित	मागू नहीं होता		
i. सचिव, संसदीय राजकाचा	,	सस्यक्ष			
समिति		सदस्य			
, ब्रवर त्रचिव (प्रका.)					
। श्रवर संचिव (प्रचा.) । श्रवर संचिव		——संबस्य			
, झबर तचित्र (प्रका.) , झबर सचित्र (झनुसंधान)		——संबस्य ——संबस्य			
, सबर सचिव (प्रता.) , सबर सचिव (धनुसंधान) , सबर सचिव					
, झवर सचिव (प्रशाः) , झवर सचिव (धनुसंधान) , झवर सचिव	2 3		5	6	7
, जबर सचिव (प्रशा.) , श्रवर सचिव (धनुसंधान) , जबर सचिव (राजभाषा विभाग)	2) साधारण केन्द्रीय से। रामूह "च" (धराज-	- संबस्य 4 वा, 775-12-955-व . रो. 14-1025 इ.	ह प्रचयन	6 नहीं	ग भागू नहीं होता
्रि सवर सचिव (प्रका.) ः श्रवर सचिव (धनुसंधान) ः सवर सचिव (राजुसंधान) विकास सचिव राजभाषा विकास)	2) साम्रारण केन्द्रीय से	संबस्य 4 वा, 775-12-955-व .चो. 14-1025 ह.			
, स्वर सचिव (प्रशा.) , श्रवर सचिव (धनुसंधान) , स्वर सचिव (राजभाषा विभाग)	2) साधारण केन्द्रीय से। समूह "व" (धराज- पवित) धन् सचिवी।	संबस्य 4 वा, 775-12-955-व .चो. 14-1025 ह.			
, स्वर सचिव (प्रशा.) , श्रवर सचिव (धनुसंधान) , स्वर सचिव (राजभाषा विभाग)	2) साधारण केन्द्रीय से। समूह "व" (धराज- पवित) धन् सचिवी।	संबस्य 4 वा, 775-12-955-व .चो. 14-1025 ह.		नहीं	

जिस तक रोजनार कार्या-लयों से नाम भेजने के निए कहा गया 🕻 ।]

ति द्वारा, शिसके म हो सक्ति पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण के द्वारा प्रोत्नित : ऐसे चपरानी जिन्होंने उस श्रेणी में 2 वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पणी : यदि ऐसे कनिष्ठ कर्मवारी के संबंध में घरेशित वर्षी की सेवा प्रशीकर नी दे विवाद किया जाता है तो उससे ज्येष्ट ऐसे कर्नवारी के संबंध में भी विवार किया जाएगा जिसने परिवोक्ता अवधि पूरी कर लो है। प्रतिनिमुक्ति पर स्थानान्तरम : केम्ब्रीय सरकार के कर्रानियों/विमागों के ऐसे कर्मचारी जो नियमित बाखार पर सदम पर धारण किए (प्रतिनि र्शित की श्रवधि, जिसके मन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के जन। या किसी घन्य संगठन/विभाग में इस निपृक्ति से ठो ह नहीं धारित कितो जन्य काइर-गाह्य पर पर प्रतिनियुक्ति की भवधि है साधा रणतया 3 वर्ष से प्रधिक नहीं होगी)। 13 14 समृह "व" विभागीय प्रोम्नति समिति (प्रोम्नति के किए) जो निम्न-जागू नहीं होता लिखित से मिलकर बनेगी: 1. सचिव, संसदीय राजभाषा समिति -प्रध्यक्ष 2. धवर सचिव (प्रशा.) सदस्य 3. प्रवर सचिव (प्रनुसंघान) सवस्य 4. ग्रवर सचिव (राजभावा विभाग) सदस्य 7 8* (1992) साधारण के ब्रीय सेवा, 750-12-870-इ.री. लागू नहां होता 18 से 35 वर्ष नहीं 9. अपरार्सा 14940 4. समृह 'व' (कराज-केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए पतित चनुगिविशेय ए प्रनुवेशों वा प्रादेशों में घनुसार संश्कारी सेवकी के लिए शिथिल करके 40 वर्ष सक की जा सकती **₹** 1 टिष्पण 1' भायु-सं:मा प्रव धारित करने के लिए निर्णा यक तारी बा भारत में अभ्य-थियों से भावेदन प्राटी करने के लिए नियत की गई अंतिम तार्र क होती म कि वह अंतिम नारीखा जी चर्तम, मेपालय, भ्रहणायल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, भागालैंड, द्विपुरा, सिक्किम, जम्मू-कण्मीर राज्य के लकाख संड, हिमाचन प्रदेश के माहीस बोर स्पेति जिसे तथा प्रस्वा जिसे के पांगी उपबंध, अंदनान भीर निकीबार होप या लक्षहीप के धभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। टिप्पण 2: रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने धाला धर्ती की बणा में, मानु-संःमा घवधारित करने के लिए निर्णायक नारं। बह अंतिस तारंख होगी



[PART II-SEC. 3(i)] 1990 THE GAZELTE OF INDIA: DECEMBER 19, 1992 /AGRAHAYANA 28, 1914 मंद्री भर्ती किए जाने बाले व्यक्तियों के लिए बावस्थक :- सुर गर द्वारा मान्यता५ ५५ संख्या से बादबो स्तर दो वर्ष । उत्तीर्णं या समन्त्य बाक्रनीय : होमगाउं/नागरिक मुक्ता स्वयं सेवक के ऋष में अ वर्ष की सेवा और होन गाई/ना दिक भूतका के कम से गन ब्नियादी की पुनश्या पाठयत्रम में प्रक्षिक्षण । श्रोतिनियुन्ति पर स्थान न्तरण : केंद्र-य सरकार के कार्यालयों में सदक्ष प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकते पर सांबो भनी पदों पर नियमित आधार पर सेवारत ऐसे कर्मचारी जिनके पास म्नंभ ह में विहि। प्रहेताएं हैं। नियुक्ति के पश्यात होन गार्ड में प्रशिक्षण बाब्यकर होगा सिवाय ऐसे ध्यक्तियों के मामले में जो ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रमुविधाप्रस्त 🐧 । (प्रतिनियुक्ति की भवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रंय सरकार के उसी या किसी घन्य मंगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठ क पहले धारित किना जन्य काडर बातूय पर पर प्रतिनियुक्ति की प्रविध है साधा-र्गतया 3 वर्ष से मधिक नहीं होगी। पुष्टि के लिए माह "ब" विभागीय प्रोप्तित मिनित जो निस्तिवित से ला ्नहीं हो श मिलकर वनेरी .-1. शवर सचिव (प्रज्ञा.) घडपक्ष 2. धनुभाग प्रधिकारी (प्रणा.) संदर्य 3. घनुमंद्यान प्रश्विकारी सदस्य 4. घर सचिव (राजाभावा विभाग) माधारण कंन्द्रीय सेना, लागू नही होना लागू नही होता *2 (1992) 750-12-870-₹. 18 से 25 वर्ष : 10 चीकीबार समूह "व" (ग्रराज-(केन्द्रीय सरकार द्वारा पारी रो. 14-940 हू. किए गए धनुदेशों या आवेशों पवित) प्रमुसनिबीय कार्यकार के **बाधार पर परिवर्तन** किया जा सकता है। के अनुसार भरकारी सेवकों लिए त्रियिल करके 40 वर्ष तक शिविल की जा मकती है। टिप्पणी 1 : धायु-मोमा सब धारित करने के लिए निर्णायक सारीच भारत में मन्यर्षियों से बाबेबन प्राप्त करने के लिए नियत की गई बंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जी चसम, मेचालय, धरुणा-चल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, बिपुरा, र्गिक्स, जम्मू-जन्मीर राज्य क लहाच बंड, हिमाबल ादेस के लाहील और म्पोति जिले तथा पम्ब जिले के पानी उपखंड, जंद भान और निकोबार द्वीप या सवावीप के अध्यार्थियों के विहित की गई है

	7	
	टिप्पणी 2 : रोजगार	
	सर्थों के माझ्यम से व वाजी अर्दी की बा	
	माय्-सीमा घरधारित	करने
	कै लिए निर्णायक यह अंतिम नारीका	
	न्हे जातन ताराचा जिल्लानक रोजगार का	
	से नाम भेजने के लिए	र कहा
	गया है।	
8	9	
भावस्थक :- सरकार हारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था वे 5 वां	10	
स्तर उत्तान या सम्रतस्य	नहीं सीघे वर्ती किए जाने वाले व्यक्तिय	# 11
वांक्नीय : होमवांबं/सिवित स्वयं सेवक के रूप में 3 वर्ष की	लिए 2 वर्ष।	
सेवा और कम ते कम वृतियावी तथा पुनरथर्था पाठ्यकम में प्रतिकार ।		
टिप्पण 1 -महंताएं ग्रन्थणा सुपहित धष्यवियों की दक्त में		
सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार सिविस की जा सकसी है।		
टिप्पन 2: प्रनुभव संबंधित प्रहेता/प्रहेताएं । सक्षम प्राधिकारी		
ण विवकानुसार धनुस्वित जातियो श्रीर धनस्वित जल-		
जातया के घम्यचियों की देशा में तब शिक्षिस की जा		
日本命 (3 / 2 / 2		
सकती हैं (है) जब चयन के किसी प्रकम पर सक्षम		
प्राधिकारी की यह राय है कि जनके लिए बारकित रिक्तियों		
प्राधिकारी की यह राव है कि उनके लिए धार्राज्ञत रिक्तियों को करने के लिए धर्पीजत सनसब रखने बाते तक सम-		
प्राधिकारी की यह राय है कि जनके लिए बारकित रिक्तियों		
प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए धारकित रिक्तियों को करने के लिए धरेकित सनुबद रखने वाले उन सनु- दायों के बच्चर्षियों के पर्याप्त संख्या में उपसम्ध होने की		
प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए धारकित रिक्तियों को करने के लिए धरेकित सनुबद रखने वाले उन सनु- दायों के बच्चर्षियों के पर्याप्त संख्या में उपसम्ध होने की	12	
प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए धार्राझत रिक्तियों को करने के लिए घरेजित समुच्य रखने नाले उन समु- दायों के बच्चर्षियों के पर्याप्त संख्या में उपसम्ध होने की संवादना नहीं है।		
प्राधिकारी की यह राव है कि उनके लिए धार्राज्ञत रिक्तियों को घरने के लिए धरेजित धनुषद रखने नाले उन सन्- दायों के बच्चिवंदों के पर्याप्त संख्या में उपसब्ध होने की संवादना नहीं है।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के व सर्वी विशामों के ऐसे कर्मचारी जो निवसित प्रापार पर	77 P
प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए धारजित रिक्तियों को करने के लिए धरेजित समुम्ब रखने नाले उन समु- दायों के बच्चिवंदों के पर्याप्त संख्या में उपसच्छ होने की संवायना नहीं है। 11 प्रतिनिय्क्ति वर स्वानातरव/स्वानान्त स्व हारा, विसके म हो सकने पर सोबी मली	प्रतिनियुक्ति पर स्वानान्तरण/स्वानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के ब सर्वी विभागों के ऐसे कर्मवारी जो निवमित प्राश्वार पर पद प्रारण किए हुए है बीर जिनके पास स्तंस 8 में विकित	77 P
प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए धारजित रिक्तियों को करने के लिए धरेजित समुम्ब रखने नाले उन समु- दायों के बच्चिवंदों के पर्याप्त संख्या में उपसच्छ होने की संवायना नहीं है। 11 प्रतिनिय्क्ति वर स्वानातरव/स्वानान्त स्व हारा, विसके म हो सकने पर सोबी मली	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के व सर्वी विश्वामों के ऐसे कर्मचारी जो निवमित प्राश्वार पर पद बारण किए हुए है बीर जिनके पास स्तंत्र 8 में विदित ताएं हैं ।	सद् न घहं-
प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए धारजित रिक्तियों को करने के लिए धरेजित समुम्ब रखने नाले उन समु- दायों के बच्चिवंदों के पर्याप्त संख्या में उपसच्छ होने की संवायना नहीं है। 11 प्रतिनिय्क्ति वर स्वानातरव/स्वानान्त स्व हारा, विसके म हो सकने पर सोबी मली	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के व सर्वी विश्वामों के ऐसे कर्मचारी जो निवमित प्राधार पर पव घारण किए हुए है और जिनके पास स्तंत 8 में चिहित ताएं हैं । (प्रतिनियुक्ति की प्रवृद्धि, जिसके धन्तर्गत केंद्रीय सरकार ने	सद्ब घर्ते-
प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए धारजित रिक्तियों को करने के लिए धरेजित समुम्ब रखने नाले उन समु- दायों के बच्चिवंदों के पर्याप्त संख्या में उपसच्छ होने की संवायना नहीं है। 11 प्रतिनिय्क्ति वर स्वानातरव/स्वानान्त स्व हारा, विसके म हो सकने पर सोबी मली	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के व संयों विमागों के ऐसे कर्म बारी जो नियमित प्राधार पर पव बारण किए हुए है और जिनके पास स्तंम 8 में विहित ताएं हैं । (प्रतिनियुक्ति की प्रवृक्ति, जिसके धन्तर्गत केंद्रीय सरकार के या किसी बन्य संगठन / विभाग में इस विश्व कि के	सद्ज्ञ घर्दे- उसी
प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए धारजित रिक्तियों को करने के लिए धरेजित समुम्ब रखने नाले उन समु- दायों के बच्चिवंदों के पर्याप्त संख्या में उपसच्छ होने की संवायना नहीं है। 11 प्रतिनिय्क्ति वर स्वानातरव/स्वानान्त स्व हारा, विसके म हो सकने पर सोबी मली	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के व सर्वी विश्वामों के ऐसे कर्मचारी जो निवमित प्राधार पर पव घारण किए हुए है और जिनके पास स्तंत 8 में चिहित ताएं हैं । (प्रतिनियुक्ति की प्रवृद्धि, जिसके धन्तर्गत केंद्रीय सरकार ने	सद्ध घर्दे- उसी
प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए धारजित रिक्तियों को करने के लिए धरेजित समुम्ब रखने नाले उन समु- दायों के बच्चिवंदों के पर्याप्त संख्या में उपसच्छ होने की संवायना नहीं है। 11 प्रतिनिय्क्ति वर स्वानातरव/स्वानान्त स्व हारा, विसके म हो सकने पर सोबी मली	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के व लयों विमागों के ऐसे कर्मचारी जो नियमित प्राप्तार पर पव बारण किए हुए है जीर जिनके पास स्तंम 8 में चिहिन ताएं हैं । (प्रतिनियुक्ति की सर्वाह, जिसके धन्तर्गत केंद्रीय सरकार के या किसी खन्य संगठन / विमाग में इस नियुक्ति से ठीक बारित किसी सन्य काडर-बाहय पर पर प्रतिनियुक्ति की	सद्ज्ञ घर्दे- उसी
प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए धारजित रिक्तियों को करने के लिए धरेजित समुम्ब रखने नाले उन समु- दायों के बच्चिवंदों के पर्याप्त संख्या में उपसच्छ होने की संवायना नहीं है। 11 प्रतिनिय्क्ति वर स्वानातरव/स्वानान्त स्व हारा, विसके म हो सकने पर सोबी मली	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के व लयों विमागों के ऐसे कर्मचारी जो नियमित प्राप्तार पर पव बारण किए हुए है जीर जिनके पास स्तंम 8 में चिहिन ताएं हैं । (प्रतिनियुक्ति की सर्वाह, जिसके धन्तर्गत केंद्रीय सरकार के या किसी खन्य संगठन / विमाग में इस नियुक्ति से ठीक बारित किसी सन्य काडर-बाहय पर पर प्रतिनियुक्ति की	सद्ध घर्दे- उसी
प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए धार्राझत रिक्तियों को जरने के लिए धरेकित सनुभव रखने बाले उन सनु- दायों के बार्ध्यार्थों के पर्याप्त संख्या में उपसच्छ होने की संवादना नहीं है। 11 प्रतिनिय्क्ति पर स्थानातर्थ/स्थानान्त स्थ डारा, विसके म हो संकने पर सोझी प्रतीं डारा ।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण /स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के व सर्वी विश्वामों के ऐसे कर्मचारी जो निवमित प्राधार पर : पब घारण किए हुए है और जिनके पास स्तंत्र 8 में चिहिन ताएं हैं । (प्रतिनियुक्ति की प्रविद्य, जिसके धन्तर्गत केंद्रीय सरकार के या किसी घन्य संगठन /विश्वाम में इस निश्कित से ठीक घारित किसी घन्य काडर-बाह्य पर पर प्रतिनियुक्ति की इ है साछारणतया 3 वर्ष से ग्राधिक नहीं होगी ।	सद्ज्ञ घर्दे- उसी
प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए धार्राज्ञत रिक्तियों को करने के लिए धरेजित प्रमुख्य रखने नाले उन समु- दायों के बार्ध्यार्थों के पर्याप्त संख्या में उपसब्ध होने की संवादना नहीं है। 11 प्रतिनिय्कित पर स्वानातरण/स्वानान्त स्व हारा, जिसके न हो सकने पर सीबी मलीं हारा । 13 प्रिट के लिए समृह "व" विभागीय प्रोम्नित समिति, जो निम्नितिज्ञित से मजकर बनेगी :- 1. प्रवर सविव (प्रजा.) प्रथम	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण /स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के व संयों विश्वामों के ऐसे कर्मचारी जो नियमित प्राधार पर पब घारण किए हुए है और जिनके पास स्तंत्र 8 में चिहिन ताएं हैं । (प्रतिनियुक्ति की प्रविद्य, जिसके धन्तार्गत केंद्रीय सरकार के या किसी खन्य संगठन /विश्वाम में इस निश्कित से ठीक चारित किसी धन्य काडर-बाह्य पब पर प्रतिनियुक्ति की इ है साखारणतया 3 वर्ष से ग्रीधक नहीं होगी ।	सद् न घर्दं - उती
प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए धार्राज्ञत रिक्तियों को करने के लिए धरेजित प्रमुख्य रखने नाले उन सन्- वायों के बार्ध्यार्थों के पर्याप्त संख्या में उपसच्ध होने की संवायना नहीं है। 11 प्रतिनिय्कित पर स्थानातरथ/स्थानान्त स्थ हारा, जिसके म हो सकने पर सीबी मलीं हारा । 13 प्रिट के लिए समृह "व" विभागीय प्रोज्नित समिति, जो निम्नितिश्चित से मजकर बनेगी :- 1. प्रवर सचिव (प्रजा.) 2. श्रमुधान धर्मिकारी (प्रजा.) 3. सवस्य	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण /स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के व संयों विश्वामों के ऐसे कर्मचारी जो नियमित प्राधार पर पब घारण किए हुए है और जिनके पास स्तंत्र 8 में चिहिन ताएं हैं । (प्रतिनियुक्ति की प्रविद्य, जिसके धन्तार्गत केंद्रीय सरकार के या किसी खन्य संगठन /विश्वाम में इस निश्कित से ठीक चारित किसी धन्य काडर-बाह्य पब पर प्रतिनियुक्ति की इ है साखारणतया 3 वर्ष से ग्रीधक नहीं होगी ।	सद्ध घर्दे- उसी
प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए धार्राज्ञत रिक्तियों को करने के लिए धरेजित प्रमुख्य रखने नाले उन समु- दायों के बार्ध्यार्थों के पर्याप्त संख्या में उपसब्ध होने की संवादना नहीं है। 11 प्रतिनिय्कित पर स्वानातरण/स्वानान्त स्व हारा, जिसके न हो सकने पर सीबी मलीं हारा । 13 प्रिट के लिए समृह "व" विभागीय प्रोम्नित समिति, जो निम्नितिज्ञित से मजकर बनेगी :- 1. प्रवर सविव (प्रजा.) प्रथम	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण /स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के व संयों विश्वामों के ऐसे कर्मचारी जो नियमित प्राधार पर पब घारण किए हुए है और जिनके पास स्तंत्र 8 में चिहिन ताएं हैं । (प्रतिनियुक्ति की प्रविद्य, जिसके धन्तार्गत केंद्रीय सरकार के या किसी खन्य संगठन /विश्वाम में इस निश्कित से ठीक चारित किसी धन्य काडर-बाह्य पब पर प्रतिनियुक्ति की इ है साखारणतया 3 वर्ष से ग्रीधक नहीं होगी ।	सद्ध घर्दे- उसी

3(i)

1~	2	3	4	6	6	7		[PART II_	
11. ज्ञाबूकण सह फराज	* 2(1992) *कार्यकार के आधार पर परिवर्तन किया या सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समृह"व" घराजपत्रित भनुस्विबीय	750-12- 870-द. रो. 14-940 र	नागू नहीं होता	नहीं	18 से 25 बर्ष (केन्द्रीय सरकार किए प्राण धनुवेशो के धनुसार सर के लिए शिषिल नक्षः की लाए शिषिल नक्षः की लाए निर्णा करने के लिए निर्णा मारत में प्रध्यांवय प्राप्त करने के लि गई अंतिम तारीख न कि वह अंतिम धसम, मैधालय, प्र मित्रोरम, मणिपुर, तिपुरा, सिक्किम, प्र राज्य के लव्वाख प्रवेश के लव्वाख प्रवेश के लाव्वाख के लिए बिहित व टिप्पणी 2:—रोज माज्यम से की जाने की दशा में, प्राप् धारिन करने के लि तारीख वह अंतिम जिस तक रोजगार नाम भेजने के लिए	ां या धारेशों कारी सेवकों करके 40 वर्ष सक्ती है। या धवधारित दिक तारीख ों से धावेदन वप् नियत की तारीख जो क्यावल प्रवेस, नागालेंड, जम्मू-कश्मीर बंड, हिमाचल गौर स्मीति जिले के पांगी बीर निकोबार के धम्पांचयों गै गई है। गार कार्यालय के ा वाली मती सुनीमा धव- लग् नियांवक तारीख होगी कार्यालयाँ के	महँताएं सरकार द्वारा मा प्राप्त किसीसंस्था से 5वां स्तर या मम परीक्षा उत्तीणं	
10		11			12				
वीधे पर्तीकिए व्यक्तियों के	•	प्रतिनियुक्ति प	र स्थानज्यस्य/ स	के दीव के ऐसे पर सबूश जिनके पा (प्रतिनिद् गंत के किसी नियुक्ति नियुक्ति	सरकार व कर्मबारी ज पद धारम स स्तंभ 8 पुनि की घ प्रीय सरव घन्य संगर से ठी क्य काइर ह		हर बने सं। 1. सहर स्विः 2. धनमाग कर	ीय प्रोचित समिति ग्रेगिवाचे ने निस्स व (प्रता.)—प्रज्यक्ष भेशरो (प्रका.)—सद प्रधिकारी—सदस्य व (राजभाषा सदस्य	ायू नही होता।

वर्ष से पश्चिक मुद्दा होगी।

[मं. धाई . 20012 / 4/91 समिति -6] साहित राम स्तरा, प्रवर समित्र

(Committee of Parliament on Official Language) New Delhi, the 18th December, 1992

G.S.R. 568.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulaing the method of recruitment to certain Group 'C

and D posts in the Committee of Parliament on Official Languago, Ministry of Jome Affairs,

1. Short fitle and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Committee of Perliament On Official Language (Group C and Group 'D' pasts) Recruitment Rules, 1992.

- (2) They shall Come into force on the date of seir publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and scales of pay.—The number of the said posts, their classification and scales of pay attached thereto shall be a specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, other qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.
 - 4. Disqualification.--No person :--
 - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living,
 - (b) Who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, it satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules, with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

				SCHEDULE			
Name of Posts	No. of Posts	Cinesi- fication	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection	Whether benifit of ad- years of service admis under rule 30 of the C Civil Services (Pension Rules, 1972	sible recruits.	
1	2	3	4	5	6	7	
1. Senior translater (Hindi)	*2 (1992) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service/ Group 'C' (Non- Gazetted), Ministerial	Rs. 1640- 60-2300- EB-75-2900	Not applicable	No	Not applicable.	
Educational and required for der		fic rec	ether age & constitutions prescrib ruits will appl promotees.		Period of grobation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods.	
8		-	9		10	11	
Not applicab	le		Not appli	cable	Not : policable	By transfer on deputation	
In case of recrai					ourtmental Promotion ter exists, what is its sitton.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	
	12				13	14	
(ii) with 5 year (Hindi) in (The period in another appointme	alogous posts of references of Re. do for deputation rescaded postation for the same to fine for Centry	on regular basi ice in the post 1400–2600 including per it held immed or some oth	s; or of Junior Tra iod of depute listely precedi ser organisation	uslator ation ing this	et applicable.	Not applicable.	

(i) ho

(ii)

1994 THE GAZETTE OF INDIA: DECEMBER 19, 1992 /AGRAHAYANA 28, 1914 [PART II-SEC. 3(i)] 2 Assistant 5 (1992) General Rs. 1400-40- Not applicable No Not applicable ·Subject to Central 1600-50variation Service, 2300-EBdependent Group 'C' 60-2600 on (Nonworkload Gazetted) Ministerial 8 9 10 11 Not applicable Not applicable No applicable By transfer on deputation 12 13 14 Transfer on deputation: Not applicable Officers of the Central Government-Not applicable (i) holding analogous posts on regular basis; (ii) Upper Division Clerks of the Central Secretariat Clerical service with 5 years regular service in the grade. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre posts held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years). 1 5 6 Stenographer 2*(1992) General Rs. 1400-Not applicable No Grade 'C' *Subject to Not applicable Central 40-1600-50variation 2300-EB-Service, dependent Group 'C' 60-2600 (Nonworkload. Gazetted), Ministerial) 10 Not applicable Not applicable Not applicable By transfer on deputation 12 13 14 Transfer on deputation: Not applicable. Not applicable Officers of the Cen ral Government— (i) holding analogous posts on regular basis; (ii) Stenographers in the pay scale of Rs. 1200-2040 with five years regular service and having a speed of 100 words por minute in English or Hindi Stenography. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years). 1 3 5 4. Stenographer, 4*(1992) Rs. 1200-General Not applicable No Not applicable Grade 'D' Subject to Central 30-1560variation Servico EB-40-2040 dependent Group 'C' on (Nonworkload Gazettod) Ministerial

11-44 3 (1)]	भारत का राजपन्न : विस	म्बर 19,1992/घर हायण 2	8,1914 199
8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation
12		13	14
ransfer on deputation officers of the Central Gove (i) holding analogous posts OR	on regular basis;	Not applicable	Not upplicable
service in the grade and English or Hindi Stenog (The period of deputatio another ex-cadre post he	n including period of deputation in eld immediately preceding this or some other organisation/deapartm	nent	
1	2	3	
. Lower Division Clerk	10° (1992) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service t "C" (Non-Gazetted N	ce Group Rs. 950-20-1150-EB-25-1500 Ministeric !)
5	6	······································	7
ot applicable	No		Not applicable
8	9	10	11
ot applicable	Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation
12		13	14
cansfer on deputation: Offial Government: olding analogous posts of reference shall be given to seed of 25 words per minute riting and 30 words per mipewriting. The period of deputation in another executed at the preceding this appointment or some other organial at Central Government shaceed 3 years.)	n regular basis. those having a cin Hindi type- inute in English cluding period of re post held imme- intment in the tion/department of	Not applicable	Not applicable
1	2	3	4
aff Car Driver	1°(1992) *Subject to variation dependent on workload,	Oeneral Central Servi. 'C' (Non-Gazetted) N Ministerial.	e GNup Rs. 33)-3(1- 153-EB-25-1500)
5	6		7
on-selection	No		18 to 25 years (Relaxable for Governmen servants upt to the age of 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 1.—The crucial date for determining

,

for receipt of applications from cancidates in India.

(and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, the Andaman Nicobar Islands or Lakshadweep)

Note 2.—In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

Essential:
Age: No
Educational qualifications - Yes.

Submit the names.

10

11

Essential:
Age: No
Educational qualifications - Yes.

volumet recognised institution.
2. Should possess a valid driving.
licence for motor cars.

- Knowledge of motor mechanism
 The candidate should be able to remove minor defects in the motor vehicles.
- Should possess atleast three years experience in driving motor vehicles.

Desirable :

3 years service as a Home Guard/ Civil Volunteer.

Note 1—Qualifications are relaxabe at the discretion of the competent authority in the case of can lidates otherwise well qualified.

Note 2—The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be a available to fill up the vacancy reserved for them

By promotion failing which by transfer on deputation and failing both by direct recruitment.

12

Promotion: From amongst Group 'D'
employees of the Committee of Parliament
on Official Lanaguage who have rendered
atleast 5 years regular service and who possess
qualifications metioned in column 8.
Note.—A senior employee who has completed
the probation period will also be considered,
if the junior employee who has completed the

Group 'D' DPC for prmotion/confirmation or consisting of :

1. Secretary of the Committee of Parliament

- on Official Language- Chairman.

 2. Under Secretary (Admn.)— Member.

 3. Unfor Secretary (Research)— Member.
- 4. Under Serrich Member.
 Larguage). Mem. Pertmout of Official.

Not applicable

1998 THE GAZI	TITE OF INDIA : DE	CEMBER 17, 1	992 /AGRAHAYA	11
R		9		By promotion failing which
Not applicable		No	No	transfer on deputation.
			13	14
vice in the grade. Note. — A senior emped the probation periwhere the junior emped the requisite numbeing considered. Transfer on deputation analogous post on respectively of deputation ation in another extiately preceding this	loyee who has completed of will also be considered loyee who has completed or of years of service is 3 on: Employees holding gular basis in the Central lepartments. including period of deputed of post held immograppointment in the same	of . Secretary Commi Cilicial language Under Secretary (Under Secretary (Under Secretary (Language) - Men	(Admn.)—Member. Research)— Member. (Department of official	Not applicable
or some other organic Central Government ceding 3 years).	sation/department of the shall ordinarily not ex-	2	3	4
Peon	8*(1992) *Subject to voor workload	ariation dependent	General Central Service 'D' (Non-Gazetted Mi	
	5		6	7
N	ot applicable		Not	8 to 25 years (Relaxable for Government servants up to the age of 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Ote 1 The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalays, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti District & Pangi Sub-division of Chemba district of Himachal Pradesh, the Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep). It is the case of recruitment made through the employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.
	9		10	11
tential: thth Standard Passon thtom a Government titution. sirable: tars service as Home ence volunteers and tente basic and refre	t zecogn ^{isod} Guard/Civil training in		20 years for direct recr	

14 12 Not applicable. Transfer on deputation/transfer : Group 'D' DPC for confirmation cosistig Employees holding analogous posts on regular of: basis in the Central Govrnment Offices/depa-1. Under S. crotary (Admn.)_ Chairman. partment possessing qualifications specified in 2. Section Officer (Admn.)_ Member. column 8. 3. Research Officer_ Member. (The period of deputation in another ex-cadre 4. Under Secretary (dpartment of Official post held immediately preceding this appointlanguage)_ Member. ment in the same or some other department/ office shall ordinarily not exceed 3 years). 3 11. Sweeper-Cum-Gereral Central Rs. 750-12- Not No 18 to 25 years (Relaxable for Frash *Subject to Service Group D, 870-EB-14- applicable. Government servants upto the variation (Non-Gazetted) 14-940 age of 40 years in accordance dependent on Non-Ministrial. with the instructions or orders workload. issued by the Central Government. Note1. The crucial date for datermining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam. Mcghalaya, Arunachal P adesh, Mizo am, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spit district and Pangi sub-division of Chamba district of Hima hal Pradesh. The Andaman & Nicobar Islands or Lakh-dweep). Note: In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Emplyoment Exchange is asked to submit the names. 9 10 11 Qualifications: 2 years for direct recruits. No By transfer on deputation/transfer 5th standard pass or equivalent examination failing which by direct recruitfrom a Government recognised institution ment. 12 13 Transfer on deputation: Group 'D' departmental promotion committee Not applicable. (for confirmation) consisting of: Employees holding analogous posts on regular basis in the Central Government offices/departments and possessing 1. Secretary Committee of Parliament on qualifications specified in column 8. Official Language Chairman. 2. Under Secretary (Admn.)_ Member. (The period of deputation in another ex-cadre post held Immediately preceding this appointment in the same or 3. Under Secretary (Research) _ Member. some other organisation/department of Central 4. Under Secretary (Department of Official Government shall ordinarily not exceed 3 years). Language)_Member.

12

requisite number of years service is being considered.

Transfer on deputation: Employees holding analogous posts on regular basis in the Central Government office/department and possessing qualifications specified in column 8 (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre posts held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years).

General Central Service Group Rs. 800-15-1010-EB-20-1150 1*(1992) 7. Junior Gestetner operator *Subject to variation dependent 'D' (Non-Gazetted) Non-Ministerial. on workload. Not applicable. Non-selection 10 9 By promotion failing which No No Not applicable by transfer on deputation. 14 13

Promotion: Daftry with two years regular service in the grade and having knowledge in operating and maintaining Gestetner machine.

Note.—A senior employee who has completed the probation period will also be consider- 3. Under Secretary (Research)- Member. ed where the Junior employee who has com- 4. Under Secretary (Department of official pleted the requisite number of years of service is being considered.

Transfer on deputation: Employee holding analogous posts on regular basis in the Central Government department/Offices and having. knowledge in operating and mainteining gestetner machine.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/cepartment of the Central Govt. shall ordinarily not exceeding 3 years).

Group 'D' DPC (for promotion) consisting

of:

- 1. Secretary committee of Perliement on Official Language-Chairman.
- 2. Under Secretary (Acmn.)- Member.
- Language)- Member.

Not applicable.

General Central Service Group Rs. 775-12-955-EB-14-1025 2*(1992) 'D' (Non-Gazetted) Ministerial. 8. Daftry Subject to variation dependent on workload. 6 Not applicable. Non Selection

13

Not applicable.

Group 'D' DPC for confirmation consisting ransfer on deputation : Employees servicing in analogous posts on regular basis in the Central Government offi- 1. Under secretary (Admn.) _ Chairman ces and possessing qualifications specified in c lumn 8. After training in home guard will be obligatory, same in the case 4. Under Secretary (Department of Official those who are physically handicapped to undergo such training. (The period of deputation in another ex-cadre

post held immediately preceding this appointment in the same or some other department/ office of the Central Gov-rament shall ordi-

of:

2. Section Officer (Admn.) __Member.

3. Rescarch Officer __Member.

Language) _Member.

narily not exceed three years).

Gineral Central Service Group Rz. 750-12-870-EB- 4-940

• (1992) *Subject to variation dependent on workload.

'C' (Non-Gaz:tted Ministerial).

Not applicable

Chowki ar

No

18 to 25 years (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years inacordance with the i structions or orders issued by the Central Government).

7

Note.1-The crucial date for determining theagelimit shall be the closing date for receipt of application from candidate in India (and not the closing date prescribed for those in Assam. Meghalaya, Arunac'ıal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pans Chamba (istrict sub-division of Himachal Pradesh, the Andaman & Nicobar Islands or Lakhshadweep). Note 2:-In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

No

9 -

2 years for direct recruits

By transfer on deputation/ transfer failing which by direct recruitment

11

Essential: A pass in 5th Standard or equivelent from Government recognisco institution. Desirable :

3 years service as a Home Guardi Civil Volunteer and training in at least basic and refresher course. Note 1. Qualifications are relax - able at the discretion of competent authority

Note 2. The qualifications regarding experience are relexable at the rity in the case of candidates belong-ing to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection the compriert authority is of the oninin that sufficient num ber of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be avail able to fill up the vacancy reserved for them.



प्रापिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

do 41] No. 41] नई बिल्ली, शनिवार, अक्टू<mark>बर 8, 1994/आस्वित</mark> 16, 1916

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 8, 1994/ASVINA 16, 1916

इ.स. भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी चाती है जिससे कि वह अनग संख्यान के क्या के रखा का कर्य

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MIN IL AVE 3-EV-AVE (I)
PART II-Section 3-Sub-section (I)

नारत सरकार के मंत्रालय (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) घीर हेन्द्रीय अधिकारियों (मंत्र राज्य आत्र अस्ववर्गों को छोड़कर) द्वारा विधि के घन्तर्गत बनाए घीर कारी किये गए साधारण सोविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आवश, उपनियम आवि सम्मिलत हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defoace) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

गृह मन्त्रायय

(राजधाया विभाग)

नई बिल्मी, 15 गितम्बर, 1991

सा.का.नि. 497.—राष्ट्रपनि, संविद्यान के अर्ष्ण्डेर, 318 के खंड (ख) के साथ पठिन अनुष्ठेर 309 के परम्तुक द्वारा प्रदेश स्वित्यों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय संविद्यालय राजधावा सेवा (समूह "न" पद) नियम, 1981 का बीर समोधन करने के लिये निस्तानिविद्य नियम बनाते हैं, सर्थान् ----

- (1) इस नियमं का मंशिष्त नाम केन्द्रीय मंचितात्रय राजभावा सेवा (समृद्ध "म"पद) दूतरा संबोधन नियम, 1994 है।
 - (2) ये राज्यस में प्रकाश की नारीब की प्रवृत होते।
- 2. केन्द्रीय मिनवालय राजनाया सेना (मनूह "न" पद) नियम, 1961 की "अनुनुषी 2 में धायु मीना से अनेबिन मद न . (ii) में "जुलाई के प्रथम दिन" कन्द्रों के स्थान पर "अगस्त के प्रथम दिन" कान्त्र रखे जायेंगे ।"

[स. 1/1/94—रा.चा.(ने.)] एम.की. कबटियाय, धवर मचिव टिप्पण '-- नून निरम मा. हा. नि. मा. 812, तारीबा 18-9-81 हारा प्रशानिन किये नये थे। तरप्रवात् उनहां मा. का. नि. म 93 नारोब 23-1-1983, मा. का. नि. मं 129, नारीब 12-2-1983, मा. का. नि. मं 129, नारीब 23-4-1983, मा. का. नि. मं 1108, नारोब 17-10-1984, मा. का. नि. मं 156, तारोबा 1-3-1986, सा. का. नि. सं. 232, तारोबा 21-4-1930, मा. का. नि. सं. 641, तारोबा 20-10-80 सा. का. नि. मं. 401, नारोबा 14-8-1983, मीर मा. का. नि. मं. 423, तारोबा 20-8-1994 हारा मंगोबन दिया गया।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS (Department of Official Language) New Delhi, the 15th September, 1994

G.S.R. 497.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309, read with clause (b) of article 318 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Secretarist Official Language Service (Group 'C' Posts) Rules, 1981, namely:—

 (1) These rules may be called the Central Secretariat Official Language Service (Group 'C' Posts) Second Amendment Rules, 1994.



- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Central Secretariat Official Language Service (Group 'C' Posts) Rules, 1981, ---
 - "in Schedule II, in item (ii) of the Note relating to age limit, for figure and words '1st day of July', the words '1st day of August' shall be substituted."

[No. 1/1/94-OL(S)] S. D. KABTIYAI, Under Secy.

NOTE.—The principal rules were published vide G.S.R. No. 842 dated 19-9-1981 subsequently amended vide G.S.R. Nos. 93 dated 29-1-1983, 129 dated 12-2-1983, 325 dated 23-4-1983, 1108 dated 27-10-1984, 156 dated 1-3-1986, 232 dated 21-4-1990, 641 dated 20-10-1990, 401 dated 14-8-1993 and 423 dated 20-8-1994.

(संसदीय राजभाषा समिति)

नई दिन्दी. 16 विषय हर, 1994

सा.का.नि. 494 :---राष्ट्रपनि, संविधान के धनुष्ठिय 309 के परन्तुक डारा घटन कवितर्यों का प्रयोग करते हुए, गृह संवात्य संसर्वीय राज-बाबा समिति (समूत्र "य" जीर सबुत्र "घ" पर) धर्नी नियम, 1992 का संबोधन करने के निर्दे हिस्सीनीडिंग विश्व बनाने हैं, धर्मान्--

- 1- (१) इत तिहासं का सक्षित नाप गृह संज्ञातस, संसदीय राज काचा समिति (संग्रह "न" और समृद् "प" पद) पर्नो (संबोधित) नियस, 1994 है।
 - (2) वे राजपत्र में प्रकासन की नारील को प्रपृत्त होंगे।
- 2 गृह मैजानव, संसदीर राजनावा मिनि (समूद् "व" और समूद् "व" पद) मर्नी निवस, 1992 की मृत्यूनी में, गहायक के पद से सर्वेषित कम सदयाक 2 के सामने रतम 12 में "प्रतिनियुत्ति पर स्थानान्तरण" उपवोर्षक के नीचे 'मह(i1) और उसी संबंधित प्रविध्यों के स्थान पर निम्निविधित रक्षा अविद् --
- "(ii) जिन्होंने 1200-2040 क. या समत्तन्य चेतनमान वा पद पर पांच वर्ष निगमित सेवा की है और जिनके पास स्वापन लेखा तथा हिन्दों के टिप्पण/प्राक्षण का कम से कम दावर्ष का प्रतुश्व है।"

[का. सं. आई-20012/4/91-समिति-6] प्रम सागर, धवर मनिव(प्रना.)

पाद टिप्पच : मूल निवस भारत के राजवत में सा.का.ति. 568 तारीख 19दिसम्बर, 1992 की प्रकाशित किये वये थे।

(Committee of Parliament on Official Language)

New Delhi, the 16th September, 1994

- G.S.R. 498.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Home Affairs, Committee of Parliament on Official Language (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1992, namely:
 - 1. (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Committee of Parliament on Official Language (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1994,
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. In the Schedule to the Ministry of Home Affairs, Committee of Parliament on Official Language (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1992 against serial number 2 relating to the post of Assistant, in column 12, under sub-heading Transfer on deputation, for item (ii) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—
 - "(ii) With five years' regular service in post in the scale of Rs. 1200-2040 or equivalent and having a minimum of two years experience in Establishment Accounts and Noting Drafting in Hindi."

[File No. I-20012|4|91-Committee-6] PREM SAGAR, Under Secy. (Admn.)

Foot Note:—The principal rules were published in the Gazette of India number GSR 568 dated the 19th December, 1992.

कार्मिक, लोक क्षिकायन नषा पंत्रन संत्रालय (कार्मिक और प्रक्रिश्रण विभाग) नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1994

भा.का.नि. 499 .—राष्ट्रपति, संविद्यात के प्रतृष्टिद 309 के परम्कृत हारा प्रदल शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मित्रिल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं प्रपील) नियमावली, 1965 में और प्राणे मंबोधन के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, धर्षात्:—

- (1) इन नियमों को केन्द्रीय मिनिल सेवा (वर्गीकरण. नियंत्रण एवं अपील) मंत्रोज्ञन नियमावती, 1994 कहा जायेगा।
- (2) ये सरकारी राजपदा में उनके प्रकाजन की नारीचा को प्रवृक्त होंगे।
- 2 केन्द्रीय मिबिल सेवा (तर्गीकरण, निवंत्रण एवं घपील) नियमावली, 1965 की घनुसूची में भाग II[में कम संक्या 1 तथा 1—क के मामने कालम 4, 5 तथा 6 में मद (घ) तथा उसमे मंदित प्रविष्टियों विलोपित की जामेंगी।

[संबंधा 11012/12/90-स्वा.(क)] कृष्ण मेनन, उप मिचन

टिप्पणी :---

मृज्य नियम भारत के राजपत में विनांत 20-11-1965 की धिंध्यूचना मंख्या 7/2/63-स्था. (क) द्वारा प्रकाशित किये वये स्था बाद में भारत के राजपत के भाग II' खंड 3, उपखंड (ii) में निम्न संख्या एवं तारीख के तहन घंधिसूचनाओं द्वारा संजोधित किये गये:----

1966-- एस . औ. 1149, **दिनांक** एस. ओ. विनाक एस. भो. 2007, विनांक 9-7-66 एस. ओ. 2648, विनांक 2-9-66 एम. ओ. 2854. विनांक 1-10-66 1967-एम. भी. 1282, दिनांक 15-4-67 एभ. ओ. 1457, दिनांक 29-4-67 3253. 16-9-67 एस. ओ. 3530, विनांक 7-10-67

4151, दिनांक 25-11-67